संख्या-262/2024/1887/41-2-2024**-CN-**1798303

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0**,** लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 17 अक्टूबर**,** 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में ट्रैवल-ट्रेड गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक पर्यटन के पत्र संख्या-5136/15-1-838(16)/ट्रै0ट्रे0/2023-24**,** दिनांक 07 अक्टूबर**,** 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें**,** जिसके माध्यम से ट्रैवल-ट्रेड गतिविधियों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष **3452-**पर्यटन-**80-**सामान्य-**800-**अन्य व्यय-**12-**मेले-महोत्सवों के आयोजन हेतु-**20-**सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष **3452-**पर्यटन-**80-**सामान्य-**800-**अन्य व्यय-**12-**मेले-महोत्सवों के आयोजन हेतु-**20-**सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र) को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग-2**,** उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 19.07.2024 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं 19.06.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय का होगा।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(7) इस मद से आयोजित जनपद स्तरीय महोत्सव में भारतीय संस्कृति, शिल्पकला, परिधान, लोक संगीत, खानपान, साहित्य एवं पर्यटन को प्रोत्साहन दिये जाने सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे तथा उक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण के समय विषय की विधिमान्यता, सार्वजनिक एवं सामाजिक अनुमन्यता एवं शीलता का विशेष ध्यान रखा जायेगा तथा अधोमानक स्तर के कार्यक्रम नहीं सम्मिलित किये जायेंगे।

(8) महोत्सव के अन्य विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए विकास प्रदर्शनी व मेले जैसे-कृषि मेला, शिल्प मेला, खादी ग्रामोद्योग विभाग से सम्बन्धित प्रदर्शनी एवं स्टाल लगाये जायेंगे तथा उनका व्यापक प्रचार व प्रसार किया जायेगा।

(9) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की सहायतासे एक जनपद एक उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों से सम्बन्धित उत्पादों की प्रदर्शनी लगायी जायेगी।

(10) महोत्सव में सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु शैक्षणिक संस्थाओं के युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

(11) महोत्सव में कृषि ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिये लाभप्रद कार्यक्रमों को सम्मिलित किये जाने के लक्ष्य से किसान गोष्टियों का आयोजन किया जायेगा एवं कौशल विकास के कार्यक्रमों को अधिकाधिक मात्रा में शामिल किया जायेगा। महोत्सव में जनपद के इतिहास एवं संस्कृति के प्रदर्शिता करने वाली प्रदर्शनियां लगायी जायेंगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 5,00,00,000 (रूपये पांच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 3452808001200 मेले/महोत्सवों के आयोजन हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-7-118/दस-2024-25, दिनांक 16.10.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव::</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0 प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
5. उप निदेशक, पर्यटन निदेशाल, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।